

प्रपतक,

पी०एन०सिंह
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

विषय— निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट न० 228 पी०डब्ल्य०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, प०० सहस्रावन जिला बंदायू को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट न० 228 पी०डब्ल्य०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, प०० सहस्रावन जिला बंदायू को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपर्युक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख घेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति तथा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 276/2012 मॉ वैष्णो महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई०ए० नं. ९/२०१६ में पारित माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक मे लिए गये निर्णय के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीप,

(पी०एन० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- ०६४ (१) / १५-११-२०१७, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, ०१ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-११०००२
- 2— क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-॥ एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-३०२००५।
- 3— सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंदायू।
- 5— सचिव/प्रबन्धक, राफिया कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट न० 228 पी०डब्ल्य०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, प०० सहस्रावन जिला बंदायू।
- 6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पी०एन० सिंह)
संयुक्त सचिव।

सार्वजनिक संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्र०सं०/सम्बद्धता/

195

/2017-18

दिनांक २। जून 2017

कार्यालय छाप

सासनावेत संख्या 864/15-11-2017 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक 30.05.2017 द्वारा निजी संस्थान राफिया कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं-228, पी०डब्ल्यू डी० रोड, ग्राम-फतनपुर टप्पा हवेली, पो०-सहसदान, जिला, बंदायू को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विद्यक निर्गत आदेश में अकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों दो अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०इ० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल विलिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अनिश्चय से सम्बन्धित उपायों को संरक्षण द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थीयों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी घार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समरस प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख रथायी होंगे, जिन्हें संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रथायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यपूर्त में की गयी संस्तुति तथा रिट प्रिटिशन (सिपिल) संख्या 276/2012 में वैष्णो महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई०ए० नं० 9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिए गये निर्णय के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०इ० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

प्र०सं०/सम्बद्धता/ 4031-38

/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य संचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष संचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. सेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर देशीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-11, एल०आई०सी० विलिंग, भवानी सिंह नार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-बंदायू।
7. प्रबन्धक/संचिव, राफिया कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं०-228, पी०डब्ल्यू डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा, हवेली, पो०-सहसदान, जिला, बंदायू।
8. गार्ड फाइल।

डा० (श्रीमती) सुत्ता सिंह
संचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

डा० (श्रीमती) सुत्ता सिंह
संचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।